न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 4/2023

दयानन्द पुत्र विक्रम सिंह जाति जाट निवासी हमीरी कला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीरूसिंह सर्किल झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक

अनावेदक

वकील प्रार्थी – श्री विजयसिंह लालपुरिया

प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 बाबत दुरूस्त किये जाने वर्तमान नक्शा सर्वे सीट हाल ख0न0 41, 42, 43, 44, 45 वाके ग्राम ब्राहमणों की ढ़ाणी

निर्णय

निर्णय दिनांक 11.12.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम ब्राहमणों की ढ़ाणी पटवार हल्का हमीरी कला की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 0.04 है0, ख0न0 42 रकबा 0.03 है0, ख0न0 43 रकबा 0.06 है0, ख0न0 44 रकबा 2.57 है0, ख0न0 45 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.77 है0 भूमि अवस्थित है जो आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। उक्त भूमि गत ख0न0 74 मी रकबा 10 बीघा 19 बिश्वा पुख्ता से बनी है। आवेदक की उक्त भूमि में गत नक्शा सर्वेसीट में किसी प्रकार का कोई रास्ते का निशान नहीं है। लेकिन सेटलमेंन्ट अधिकारियों ने वर्तमान नक्शा सर्वेशीट में डोटेड लाईन से रास्ता अंकित कर दिया जबकि उक्त भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा तथा जहां से रास्ता अंकित किया है वहां आवेदक बहुत लम्बे समय से रिहायश कर रहा है इसलिये भी उक्त जगह पर किसी प्रकार का कोई रास्ता होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिये आवेदक वर्तमान नक्शा सर्वेशीट में गत नक्शा सर्वेशीट के आधर पर तरमीम करवाने का अधिकारी है तथा डोटेड लाईन को हटवाकर नक्शा सर्वेशीट को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अन्त में आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस की गत नक्शा सर्वे सीट के अनुसार सही तरमीम करवाकर नक्शा सर्वेसीट को दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक 1679 दिनांक 20.11.2024 में अंकित किया है कि भूमि हाल ख0न0 41, 42, 43, 44, 45 गत ख0न0 74 से बने है। उक्त गत नक्शाशीट के ख0न0 74 में कोई भी रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं है।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट वर्तमान नक्शा ट्रेस को दुरूस्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

407

FILE NO. : 04/2023

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा ख0न0 41, 42, 43, 44, 45 के वर्तमान नक्शा ट्रेस को गत नक्शा सर्वे सीट के अनुसार दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार मलसीसर ने भी अपनी रिपोर्ट में हाल ख0न0 के गत ख0न0 74 की नक्शाशीट में कोई भी रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं होना बताया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख0न0 41, 42, 43, 44, 45 कुल किता 5 कुल रकबा 2.77 है0 वाके ग्राम ब्राहमणों की ढ़ाणी के वर्तमान नक्शा सीट को गत नक्शा सीट के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर